

वन भूमि में खनिजों के सर्वेक्षण के राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों को धारा-2 के अधीन पूर्व मंजूरी लेने वाला प्रारूप

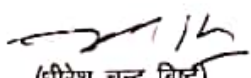
भाग-1(प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भरा जाए)

क्र० सं०	परियोजना के ब्यौरे:	विवरण
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण का नाम, पता और सम्पर्क ब्यौरे	उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग, रामनगर नैनीताल।
2	प्रयोक्ता अभिकरण की विधिक प्रास्थिति	उत्तराखण्ड राज्य सरकार का उपक्रम।
3	आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता	धीरेश चन्द्र विष्ट, प्रभागीय प्रबन्धक, खनन उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर नैनीताल।
4	प्रयोक्ता अभिकरण के निमित्त आवेदन करने के लिये इस आवेदन को करने वाले व्यक्ति की सक्षमता या प्राधिकार के समर्थन में दस्तावेज (हों/ नहीं)	प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा प्राप्त अधिकार पत्र की प्रति संलग्न है।
5	खोजी जाने वाली खनिज वस्तु	रेता, बजरी, बोल्टर, आर०बी०एम०
6	दोनों वन एवं गैर वन क्षेत्रों में किये जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरे	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, बैलपड़ाव रेंज के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र की दाबका नदी में उपखनिज चुगान का चुगान कार्य।
7	प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्वक्षण अनुज्ञापति की मंजूरी के लिए संबद्ध यथास्थिति मंत्रालय या विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुमोदन के ब्यौरे	दाबका नदी-223.00 है०, उपखनिज चुगान की अनुमति के लिए उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं०-740/VII-A-1/2020/22ख/13 दिनांक 26.06.2020।
8	पूर्वक्षण पट्टे में सम्मिलित वन और गैर भूमि के ब्यौरे	दाबका नदी-112.00 है० उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग, रामनगर नैनीताल गैर वन भूमि-रिक्त
9	पूर्वक्षण के लिए अपेक्षित वन भूमि का कुल क्षेत्र- (क) भूमि उपयोग स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र-	रिक्त
10	(ख) वन भूमि में अस्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र-	बैलपड़ाव रेंज के अन्तर्गत दाबका नदी-112.00 है०
11	कुल अवधि जिसके लिए वन भूमि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित किये जाने के लिए प्रस्तावित है:	10 वर्ष हेतु
12	परियोजना की प्राक्कलित लागत(लाख में):	14,020.00 रु०
13	ऐसी वन भूमि के उपयोग के लिये चालू परिस्थिति के साथ राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्व में यदि कोई है अपयोजित वन भूमि का ब्यौरा:-	भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-F.NO.8-61/1999 FC(pt-II)dated 15-Feb-2013 द्वारा प्रस्तावित भूमि दाबका से 223.00 है० भूमि से उपखनिज चुगान की अनुमति 15 फरवरी 2023 तक के लिये प्राप्त है। माह फरवरी 2023 से माह मार्च 2033 तक उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत ही 112.00 है०, भूमि में उपखनिज चुगान कार्य को जारी रखने हेतु नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत है। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2223/X-2-2012-19(7)/2012 दिनांक 14.12.2012 द्वारा पर्वलगढ कन्जर्वेशन रिजर्व की स्थापना होने के कारण विगत वर्षों से 223.00 है० के विरुद्ध मात्र 112.00 है० पर ही उपखनिज चुगान का कार्य किया जा रहा है।
14	प्रत्येक मामले में पूर्वक्षण की चालू प्रास्थिति के साथ वन भूमि में खनिजों के पूर्वक्षण के लिए प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में-पूर्व में दी गई अनुमति के ब्यौरे:	F.NO.8-61/1999 FC(pt-II)dated 15-Feb-2013 के द्वारा 10 वर्षों की अवधि हेतु उपखनिज चुगान की अनुमति प्राप्त है। जिसकी अवधि फरवरी 2023 को समाप्त हो रही है आगामी 10 वर्ष की अवधि विस्तारण हेतु आवेदन किया जा रहा है।
15	संलग्नक मानचित्रों का ब्यौरा:-	
16	पूर्वक्षण ब्लॉक की सीमा दर्शित करने वाले 1:50000 स्केलर के मूल में स्थल परत(तों) का भारतीय सर्वेक्षण, पूर्वक्षण ब्लॉक के भीतर अवस्थित वन भूमि के प्रत्येक टुकड़े की सीमा, प्रत्येक नमूने प्लाट की अवस्थितियां छेदन उपस्कारों के परिवहन के लिए उपयोजित होने वाले बंध छिद्र स्थल सड़कों या पथमार्ग(साथ ही नए पथ के रास्ते को पृथक रूप से दिखाया न जाए) लगने वाले वनों की सीमाएं और पूर्वक्षण आदि में पहचान की गई वन भूमि की सीमा से (10 किमी०) की दूरी पर अवस्थित।	संलग्न हैं।

17	वन भूमि में पूर्वेक्षण के लिए न्यायोचितता:	उपखनिज चुगान हेतु दाबका नदी बैलपडाव रेज 112.00 है0 आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित नदी क्षेत्र है। यह वृक्ष विहीन क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य क्षेत्र उपखनिज चुगान के लिए उपलब्ध नहीं है। वर्षा काल के दौरान नदी बहाव के साथ नदी तट क्षेत्र में एकत्रित होने वाला मलवा/ उपखनिजों के भारी जमाव के कारण नदी तल की ऊंचाई में वृद्धि होने से नदी बहाव क्षेत्र में परिवर्तन एवं मृदा क्षरण कार्य को रोकने हेतु उपखनिजों का चुगान करना आवश्यक है।
18	जांच किये गये विकल्पो के ब्योरे:	उपखनिज चुगान हेतु इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं है प्रस्तावित क्षेत्र न्यूनतम है।
19	गैर आक्रामक पूर्वेक्षण क्रियाकलाप के ब्योरे यदि कोई हो, विस्तारित प्रस्ताव में उपदर्शित वन भूमि में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया हो:	लागू नहीं है।
20	अनुरोधित क्षेत्रों में पूर्वेक्षण के लिए पहचान की गई वन भूमि अवस्थित है (हाँ/नहीं)	हाँ
21	वन भूमि में किये जाने वाले प्रस्तावित क्रिया कलापों के ब्योरे:	नदी तल से उपखनिज का चुगान कार्य।
22	सतह नमूने (क) ग्रीह प्रतिचयन (ख) चिप प्रतिचयन अध्ययन (ग) खांचा प्रतिचयन (घ) चैनल प्रतिचयन (ङ) प्रपुंच प्रतिचयन (च) पंक्ति अंतरालन नमूने सहित भू-रसायन ग्रिड प्रतिचयन	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार, देहरादून द्वारा दी गई अध्ययन आख्या की संस्तुति के अनुसार कार्य सम्पादित किया जायेगा।
23	गड़ड़ा या खाई बनाना	
24	(क) गड़ड़ों या खाईयों की संख्या और व्यास	लौट क्षेत्रों में श्रमिकों के माध्यम से मैनुअल (Hand Tool) तरीके से मात्र 1.5 मी0 ऊपरी सतह से उपखनिजों का चुगान कार्य प्रस्तावित है।
25	(ख) उत्खनन की कुल मात्रा	दाबका नदी- 18,67,800.00 टन प्रति वर्ष (पूर्व माईनिंग प्लान के अनुसार) छायाप्रति संलग्न
26	(ग) गड़ड़ों या खाईयों के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्र	दाबका नदी-112.00 है0
27	वेधन (क) वेध छिद्रों या कुओं की संख्या और व्यास- (ख) वेध छिद्रों या कुओं का अंतराल (ग) प्रत्येक वेधछिद्र या कुओं पर अस्थाई रूप से बाधित किये जाने वाले क्षेत्र (घ) प्रत्येक वेधछिद्र या कुओं पर अस्थाई रूप से बाधित किये जाने वाले क्षेत्र, यदि कोई है। (ङ) वेध छिद्रों या कुओं का मापन (च) वेधन कोर नमूनों की संख्या (छ) वेधन कोर नमूनों की मात्रा	लागू नहीं है।
28	सड़को या पथों का संनिर्माण (क) निर्माण किये जाने वाली सड़कों या पथों की लम्बाई और चौड़ाई (ख) सड़कों या पथों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	लागू नहीं है।
29	कोई अन्य क्रिया कलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	लागू नहीं है।
30	निम्नलिखित के कारण भूमि उपयोग में अस्थाई परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र सतह वन भूमि का क्षेत्र सतह प्रतिचयन परिवर्तन गड़ड़ा या खाई बनाना वेधन:	भूमि उपयोग से कोई, महत्वपूर्ण अस्थाई परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं है।

	राडको या पथों का सन्निर्माण कोई अन्य क्रियाकलाप (कृन्सर विनिर्दिष्ट करें):																									
31	निम्नलिखित के लिए भूमि उपयोग में स्थाई परिवर्तन के अनुपात के लिए सम्भाव्य वन क्षेत्र सतह वन भूमि का क्षेत्र सतह प्रतिचयन परिवर्तन गड़ड़ा या खाई बनाना वेधन: राडको या पथों का सन्निर्माण कोई अन्य क्रियाकलाप (कृन्सर विनिर्दिष्ट करें):	भूमि उपयोग से कोई, महत्वपूर्ण स्थाई परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं है।																								
32	पूर्वक्षण के लिए विनियोजित होने के लिए मशीनरी या उपकरणों के ब्यौरे- <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>क्र०सं०</th> <th>उपकरण या मशीनरी का नाम</th> <th>कर्मण का डंग</th> <th>आकार (एलxबीxएच)</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>रिक्त</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	क्र०सं०	उपकरण या मशीनरी का नाम	कर्मण का डंग	आकार (एलxबीxएच)				रिक्त									<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>प्राकलित विनियोजन (मशीन घंटे)</th> <th>अधिकतम शोर स्तर (डेसिबल)</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	प्राकलित विनियोजन (मशीन घंटे)	अधिकतम शोर स्तर (डेसिबल)						
क्र०सं०	उपकरण या मशीनरी का नाम	कर्मण का डंग	आकार (एलxबीxएच)																							
			रिक्त																							
प्राकलित विनियोजन (मशीन घंटे)	अधिकतम शोर स्तर (डेसिबल)																									
33	खनिज आरक्षण निर्धारण के लिए प्राकलित शुद्धता और आश्वस्त स्तर:-	लागू नहीं है।																								
34	यदि वेध किये जाने के लिए प्रस्तावित वेधन छिद्रों की संख्या निम्नलिखित के द्वारा कम की जाती है तो प्राकलित शुद्धता और आश्वस्त स्तर:- <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>शुद्धता</th> <th>आश्वस्त स्तर(%)</th> </tr> <tr> <td>(i)</td> <td>(10%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(ii)</td> <td>(20%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(iii)</td> <td>(30%)</td> <td>रिक्त</td> </tr> <tr> <td>(iv)</td> <td>(40%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(v)</td> <td>(50%)</td> <td></td> </tr> </table>		शुद्धता	आश्वस्त स्तर(%)	(i)	(10%)		(ii)	(20%)		(iii)	(30%)	रिक्त	(iv)	(40%)		(v)	(50%)		लागू नहीं है।						
	शुद्धता	आश्वस्त स्तर(%)																								
(i)	(10%)																									
(ii)	(20%)																									
(iii)	(30%)	रिक्त																								
(iv)	(40%)																									
(v)	(50%)																									
35	यदि पूर्वक्षण या अतिरिक्त वेध छिद्रों की मजूर की गई अनुज्ञा की अवधि के विस्तार हेतु प्रस्ताव है, कृपया निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी दें। (i)पूर्व में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन दिये गये अनुमोदन के ब्यौरे <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>क्र०सं०</th> <th>दिये गये अनुमोदन की संख्या और तारीख</th> <th>पूर्वक्षण (एच ए) के लिये अनुज्ञात वन भूमि का क्षेत्र</th> <th>अनुमोदन की विधिमान्य अवधि</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>से तक</td> </tr> <tr> <td></td> <td>रिक्त</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	क्र०सं०	दिये गये अनुमोदन की संख्या और तारीख	पूर्वक्षण (एच ए) के लिये अनुज्ञात वन भूमि का क्षेत्र	अनुमोदन की विधिमान्य अवधि				से तक		रिक्त															
क्र०सं०	दिये गये अनुमोदन की संख्या और तारीख	पूर्वक्षण (एच ए) के लिये अनुज्ञात वन भूमि का क्षेत्र	अनुमोदन की विधिमान्य अवधि																							
			से तक																							
	रिक्त																									
36	(ii)पूर्व में दिये गये अनुमोदन में अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन की प्रास्थिति पर रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं) (iii)उत्लंघन (नो), यदि कोई, किया है, के ब्यौरे। (iv)पूर्वक्षण के लिये दी गई अनुज्ञा के विस्तार के लिये न्यायोचितता। (v) अभी तक किये गये पूर्वक्षण क्रियाकलापों और संग्रहीत नमूनों के ब्यौरे	संलग्न है। नहीं लागू नहीं है। लागू नहीं है।																								
37	संलग्न दस्तावेजों के ब्यौरे	चैकलिस्ट के अनुसार समस्त अभिलेख																								

तारीख:
स्थान: नैनीताल।


 (धीरेश चन्द्र बिष्ट)
 प्रभागीय प्रबन्धक खनन
 उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
 रामनगर (नैनीताल)।

प्रस्ताव की राज्य क्रमांक सं०.....
(प्राप्ति की तारीख सहित नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाए) .